राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1511 दिनांक : 14-12-2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1. अचलाराम पुत्र सताराम जाति जाट, निवासी गैहूंवाला, विरेन्द्रनगर, तहसील बायतु (बाड़मेर)	1.दुर्गाराम पुत्र चुतराराम वगैरा 11 जाति जाट, निवासी गैहूंवाला विरेन्द्रनगर, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 383 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – गैहूंवाला, पटवार मण्डल – बायतु भीमजी, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 432 / 194 रकबा 0.9708 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

14/12/2022
(मनोज)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1512-1516 दिनांक : 14-12-2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु भीमजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री अचलाराम पुत्र सताराम
4. विप्रार्थी श्री दुर्गाराम पुत्र चुतराराम वगैरा 11
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / नागाणा।

14/12/2022
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2022.12.30 11:57:27 IST
Reason: SelfAttested